

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 45 / 2015

संस्थित दिनांक-10 / 04 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303004242010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. सनी उर्फ सुनील पुत्र स्व0 श्री दिलीप श्रीवास,
उम्र-25 साल, निवासी सतमास मोहल्ला,
भिण्ड मध्यप्रदेशपूर्व से निराकृत आरोपी
2. प्रदीप पुत्र अमरसिंह राठौर,
निवासी हरनाथपुराउपस्थित आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी प्रदीप द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ।

-:- दोषमुक्ति आ दे श -:-

(अंतर्गत धारा-232 द0प्र0सं0 1973)

(आज दिनांक 02 / 11 / 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. शेष विचाराधीन आरोपी प्रदीप के विरुद्ध धारा 392 भा0द0सं0सहपठित धारा-11 / 13 डकैती अधिनियम के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक-16 / 07 / 2010 के 11 बजे बूटी कुईया सर्वा के बीच पुलिया के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने साथी के साथ मिलकर फरियादी शिवनारायण की पत्नी श्रीमती उषादेवी के गले से एक जंजीर सोने की चैन कीमती करीब तीस हजार रुपये लूटी।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी सनी के विरुद्ध पूर्व में दि0-28 / 06 / 2016 को मामला निराकृत हो चुका है।
3. अभियोजन के अनुसार बताई गई घटना का सार संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि दिनांक-16 / 07 / 2010 को फरियादी शिवनारायण अपनी पत्नी उषादेवी के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव पिडौरा से अपनी ससुराल शेरपुर जा रहा था, जैसे ही वह दिन के करीब 11 बजे बूटी कुईया सर्वा के बीच पुलिया के पास आया तभी एक

पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक-यू.पी.-75 ई-0179 से पीछे से एक काले रंग की आयी, जिसपर दो लडके बैठकर आये और उसकी पत्नी के गले से एक सोने की चैन खींचकर ग्वालियर तरफ को भाग गये । उसने पीछा किया तो सर्वा चैक पोस्ट पर से वह भाग गये, उसके साले सत्यजीवन व ग्राम खेरिया के प्रमोद से पूछा कि अभी मोटरसाइकिल काले रंग की जिसपर दो लोग चैन लूटकर निकले हैं, तो उसने बताया कि काली पल्सर पर सनी श्रीवास तथा प्रदीप राठौर निवासी भिण्ड के जो तेजी से निकल गये हैं ।

4. फरियादी शिवनारायण की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से थाना के अपराध क्रमांक-120/2010 धारा-392 बी, 34 भा.द.वि. व 11, 13 डकैती अधिनियम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-06 कायम की गयी। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र विशेष न्यायालय डकैती, के न्यायालय में विधिवत निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त सनी उर्फ प्रदीप के विरुद्ध धारा-392, 34 भा.द.वि. एवं 11/13 डकैती अधिनियम के आरोप की रचना की जाकर आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । विचारण किया गया । मामले में आरोपी प्रदीप राठौर के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, आरोपी प्रदीप राठौर की धारा-313 द. प्र.सं. के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपी के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आयी है, इसलिये धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है ।
6. परीक्षित साक्षियों में से प्रकरण के सर्वाधिक महत्व के साक्षी अभियोजन कथानक अनुसार फरियादी शिवनारायण अ.सा.-4 एवं उसकी पत्नी श्रीमती ऊषादेवी अ.सा.-3 हैं । जिनके साथ लूट की घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर बूटी कुईया और ग्राम सर्वा के बीच पुलिया के पास होना बतायी गयी है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर दो लोगों द्वारा आकर ऊषादेवी के गले में पड़ी सोने की चैन खींचकर लूट ले जाना बताया गया । कथानक मुताबिक आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गयी थी ।
7. विचाराधीन आरोपी प्रदीप के संबंध में जो साक्ष्य पेश की है, उसमें घटना के पीडित श्रीमती ऊषादेवी अ.सा.-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक का प्रदर्श पी.-06 की एफ आई आर के वृत्तान्त अनुसार समर्थन नहीं किया है । कथन दिनांक-30/3/2016 को यह अवश्य बताया है कि 5-6 साल पहले जब वह अपनी ससुराल पिडौरा से अपने मायके शेरपुर अपने पति शिवनारायण के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी रास्ते में बूटी कुईया और सर्वा के बीच दो लडके एक मोटरसाइकिल पर बैठकर आये थे और उनकी मोटरसाइकिल के बराबर आकर उसके गले से सोने की चैन खींचकर भाग गये थे जिनका उसके

पति ने पीछा भी किया था। किन्तु उसने इस बात से इंकार किया है कि उसके नंदेउ प्रमोद एवं भाई सत्यजीवन के साथ उसके पति ने घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने घेरा डालकर दो लडकों को पकड़ लिया था जिसमें से एक हाजिर अदालत आरोपी प्रदीप भी था। साक्षिया ने पक्ष विरोधी रहते हुए पुलिस को दिये प्र.पी.-5 के कथन में लूट करने वालों का हुलिया लिखाने से एवं न्यायालय में विचाराधीन आरोपी प्रदीप की पहचान करने से इंकार किया है। बल्कि यह कहा है कि घटनास्थल पर कुछ देर रुकने के बाद वह फरार हुआ था। तथा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान उसने पहली बार आरोपी प्रदीप को देखना बताया है।

8. इस तरह से अ.सा.-3 का न्यायालय में दिया गया अभिसाक्ष्य विचाराधीन आरोपी प्रदीप के विरुद्ध नहीं आया है और वह अभियोजन के इस कथानक का भी समर्थन नहीं करती है कि उसके भाई सत्यजीवन एवं नंदेउ प्रमोद ने लूट करने वालों के नाम बताये थे और उन्होंने भी आरोपीगण का पीछा किया। साक्षिया ने इतना अवश्य स्वीकार किया है कि लूटी गयी जंजीर का एक टुकड़ा उसे न्यायालय से सुपुर्दगी में मिला है, जिसकी उसने पहचान तहसीलदार द्वारा कराये जाने पर की थी। किन्तु पहचान के बिन्दु पर भी पैरा-3 में वह अभियोजन का समर्थन न करते हुए यह कहती है कि पहचान के समय पुलिसवाले मौजूद थे तथा अन्य कोई सामान नहीं मिलाया गया था।

9. इस तरह से श्रीमती उषादेवी अ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य से अभियोजन का कथानक कतई प्रमाणित नहीं होता है तथा उसके पति एवं रिपोर्टकर्ता छोटू उर्फ शिवनारायण अ.सा.-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में अ.सा.-3 की तरह ही साक्ष्य देते हुए लूट की घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहा पर स्वयं के द्वारा प्रदर्श पी0.-6 की रिपोर्ट लिखाना, पुलिस द्वारा मौके पर आकर नक्शामौका प्र.पी.-7 तैयार करना तो बताया है। लूटी गयी जंजीर का एक टुकड़े की पहचान की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा किए जाने की बात भी उसने बतायी है और उपजेल भिण्ड में लूट करने वालों की पहचान तहसीलदार द्वारा कराया जाना तो कहा है किन्तु घटना के समय अंधेरा होने के कारण वह लूट करने वालों को नहीं पहचान पाया था इसलिये तहसीलदार द्वारा 8-10 लडकों को खड़ा करके जो पहचान करायी गयी थी उसमें वह लूट करने वालों को नहीं पहचान पाया था। शिनाख्ती मैमो प्रदर्श पी.-8 पर उसने अपने हस्ताक्षर करना अवश्य बताये हैं। लेकिन वह इस बात से इंकार करता है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी.-9 का कथन देते समय लूट करने वाले लडकों में से एक सांवला घुघराले बालों का दोहरे शरीर का, दूसरा पतला दुबला बड़े बड़े बालों वाला था, तभी उसका यह कहना है कि लूट करने वाले एकदम झपट्टा मारकर भागे थे इसलिये उनकी शक्ल नहीं देख पायी थी। उसने भी इस बात से इंकार किया है कि सर्वा चैक पोस्ट पर उसका बहनोई प्रमोद एवं साला सत्यजीवन मिले जिन्होंने लूट करने वालों के बारे में यह जानकारी दी कि काली मोटरसाइकिल पर प्रदीप राठौर व सनी नाई नामक व्यक्ति

निकले हैं। उसने भी पुलिस द्वारा आरोपियों के पकड़े जाने पर उनकी पहचान करने से इंकार किया है। एफ आई आर प्रदर्श पी.-6 व पुलिस कथन प्रदर्श पी.-9 में बी से बी भागों में जिसमें मूल घटना आरोपी प्रदीप के द्वारा की गयी, से इंकार किया है। और विचाराधीन आरोपी प्रदीप को भी उसने पहली बार न्यायालय में देखना बताते हुए जंजीर के टुकड़े और लुटेरे की पहचान के संबंध में अपनी पत्नी उषादेवी अ. सा.-3 की तरह ही अभिसाक्ष्य दिया है।

10. इस तरह से दोनों महत्वपूर्ण साक्षी जहां पक्षविरोधी रहे हैं और अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हो और विचाराधीन आरोपी प्रदीप के संबंध में उनकी कोई भी साक्ष्य नहीं आयी है, जो कि आरोपी प्रदीप की विचाराधीन मामले की बतायी घटना में किसी भी प्रकार से संलिप्तता स्थापित करती हो।

11. कथानक मुताबिक घटना के प्रमोद अ.सा.-1 एवं सत्यजीवन अ.सा.-2 भी महत्वपूर्ण साक्षी बताये गये हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही लूट करने वालों में आरोपी के संलिप्तता की प्रथम बार जानकारी उपलब्ध करायी गयी थी, किन्तु उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अभियोजन के कथानक का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है और लूट करने वालों के नाम बताने, उनका पीछा करने, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने तथा सोने की जंजीर का टुकड़ा जब्त किए जाने का कोई समर्थन नहीं किया। प्रमोद ने प्र.पी.-1 और सत्यजीवन ने प्रदर्श पी.-4 के कथन पुलिस को देने से इंकार किया है, आरोपी प्रदीप राठौर की प्र.पी.-11 के द्वारा गिरफ्तारी होने एवं उसके कब्जे से एक पल्सर काले रंग की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, एक सोने की चैन का टुकड़ा प्र.पी.-12 के जब्ती पत्रक मुताबित जब्त किए जाने से भी इंकार किया है। दोनों ने केवल इतना बताया है कि छोटू उर्फ सत्यनारायण के साथ वे थाने गये थे। वहीं पुलिस ने उनके उक्त कागजात प्र.पी.-11 व 12 पर हस्ताक्षर करा लिये थे लेकिन उसमें क्या लिखा न तो पढ़कर सुनाया व बताया और उक्त दोनों साक्षियों ने भी विचाराधीन आरोपी प्रदीप को न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पहली बात साक्ष्य में देखना अ.सा.-3 व 4 की तरह बताया है।

12. इस प्रकार से घटना के चारों महत्वपूर्ण साक्षियों के द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया गया है कि जिससे विचाराधीन आरोपी प्रदीप राठौर की प्र.पी.-6 में बतायी घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संलिप्तता प्रकट होती हो। इसलिये उपरोक्त महत्वपूर्ण साक्षियों का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की अन्य साक्ष्य का विधिक महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि उपरोक्त साक्षियों के समर्थन के अभाव में विचाराधीन घटना प्रमाणित ही नहीं हो सकती है। जिसके कारण धारा-232 द.प्र.सं. के तहत दोषमुक्ति का आदेश प्रसारित किया जाना न्याय संगत पाया गया है।

13. साक्षी बी.एल. बंसल सेवानिवृत्त एस.आई. अ.सा.-6 का कथन

है कि दि०-16/07/2010 को थाना गोहद चौराहा पर ए.एस.आई. पदस्थ रहते फरियादी शिवनारायण के द्वारा अपनी पत्नी उषादेवी के साथ थाने आकर स्वयं के साथ आरोपीगण सनी एवं प्रदीप राठौर के द्वारा लूट किए जाने की रिपोर्ट की थी, जो उसके द्वारा प्रदर्श प्र.पी.-6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अप.क्र.-120/2010 धारा-392 भा०द०सं० सहपठित 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत पंजीबद्ध की गयी। फरियादी शिवनारायण उर्फ छोटू अ.सा.-4 के द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्र.पी.-6 की रिपोर्ट में बी से बी भाग में विचाराधीन आरोपी प्रदीप राठौर का नाम नहीं लिखाया जाना बताया गया है एवं उसकी उपस्थिति से स्पष्टतः इंकार किया है। जिससे एफ आई आर लेखक बी.एल. बंसल के द्वारा प्र.पी.-6 की एफ आई आर आरोपी प्रदीप के संबंध में संदिग्ध हो जाती है।

14. श्रीमती शुभद्रा त्रिपाठी, तहसीलदार अ.सा.-7 ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताया है कि अगस्त 2010 में राजस्व वृत्त गोहद में इंचार्ज नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहते थाना गोहद चौराहा के अपराध क्र०-120/2010 में जब्तशुदा माल सोने की एक टूटी चैन की शिनाख्ती कार्यवाही तहसील कार्यालय गोहद में उसके द्वारा करायी गयी, जिसमें पहचानकर्ता शिवनारायण एवं श्रीमती उषा के द्वारा अपने सामान की सही पहचान की थी, जिसका शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.-12 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.-12 पर शिनाख्तीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, क्योंकि उसने आवश्यक नहीं समझा। साक्षी शिवनारायण उर्फ छोटू अ.सा.-04 के द्वारा भी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के पैरा-03 में तहसीलदार मेडम के द्वारा लूटी गयी जंजीर की पहचान कराना व जंजीर के टुकड़े को पहचान लेना बताया था। किन्तु जंजीर का उक्त टुकड़ा शेष विचाराधीन आरोपी प्रदीप राठौर से जब्त हुआ हो, यह प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि प्रमोद अ.सा.-01 एवं सत्यजीवन शर्मा अ.सा.-02 के द्वारा प्र.पी.-12 के जब्ती पत्रक मुताबिक जंजीर के टुकड़ा को जब्त होने से स्पष्टतः इंकार किया है।

15. उपरोक्त परीक्षित साक्षियों से केवल इतना ही प्रमाणित अधिकतम हो सकता है कि जब श्रीमती उषा अपने पति के साथ पिडोरा से ग्राम शेरपुर अपने मायके जा रही थी तब ग्राम बूटी कुईया और सर्वा के बीच रास्ते में उसके साथ लूट की घटना हुई जिसमें उसके गले से सोने की जंजीर तोड़कर लूटी गयी किन्तु विचाराधीन आरोपी प्रदीप राठौर द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया या घटना कारित करने में उसकी किसी भी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रकार की भूमिका रही यह कतई प्रमाणित नहीं है और पटवारी पूरनसिंह अ.सा.-5 को आरोपी प्रदीप के संबंध में परीक्षित भी नहीं कराया गया है, उक्त साक्षी के द्वारा प्र.पी.-10 का नजरी नक्शा तैयार किया गया उससे केवल इतना ही प्रमाणित हो सकता है कि घटनास्थल थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रांतर्गत आने वाले स्थान की है। जोकि घटना दि०-16/07/2010 को डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित था।

16. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में विचाराधीन आरोपी प्रदीप राठौर के विरुद्ध अभिलेख पर विरचित आरोपों के प्रमाण में कोई साक्ष्य नहीं है । इसलिये प्रमाण के अभाव में विचाराधीन आरोपी प्रदीप को धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विरचित आरोप धारा-392/34 भा.द.वि.सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट 1981 के आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है ।
17. विचाराधीन आरोपी प्रदीप राठौर के जेल वारण्ट पर उसके अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर रिहा किये जाने की टीप लगायी जावे। आरोपी प्रदीप राठौर का धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे ।
18. प्रकरण में जब्तशुदा सोने की चैन का टुकड़ा पूर्व से पंजीकृत स्वामी शिवनारायण एवं श्रीमती उषा की सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। एवं शेष जब्त संपत्ति एक पल्सर काले रंग की नंबर-यू0पी0-95 ई0-0179, एक चायना मोबाइल, एक काला बैग पीठ पर टांगने वाला, एक लाल चौखाने की शर्ट, एक तोलिया, एक अन्य चायना कंपनी का मोबाइल में से एक काला बैग पीठ पर टांगने वाला, एक लाल चौखाने की शर्ट, एक तोलिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। एवं एक पल्सर काले रंग की मोटरसाइकिल नंबर-यू0पी0-95 ई0-0179 के पंजीकृत स्वामी के द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर नहीं लिया गया है एवं दो चायना के मोबाइल भी पंजीकृत स्वामी द्वारा सुपुर्दगी पर वापिस नहीं लिये गये हैं अतः मोटरसाइकिल एवं दोनों चायना के मोबाइल की राजसात की कार्यवाही कर राशि कोषालय में जमा करायी जावे।
19. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 02 / 11 / 2016

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड